संख्या-1/एस-3-708/दस-2014-134(17)/2004 टी0सी0

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक30 अक्टूबर, 2014

विषयः- जनपदीय कोषागारों में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को मानदेय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1860/18(33)/2013 /कोषा0संघ/को0नि0/स्था0 दिनांक 03-09-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागारों के कार्मिकों द्वारा प्रति वर्ष 25 सार्वजनिक अवकाश के दिनों में सामान्य कार्य दिवस की भांति कार्य करने एवं कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के फलस्वरूप बढे हुए कार्यो (ई-पेंमन्ट ई-रिसीट सामूहिक बीमा एवं नयी पेंशन स्कीम के अन्तर्गत भुगतान संबंधी कार्य) के परिप्रेक्ष्य में कोषागार कार्मिकों द्वारा परिश्रम पूर्वक किये जाने वाले कार्यो के दृष्टिगत कर्मचारियों के मनोबल को बनाये रखने हेतु सम्यक विचारोंपरान्त कोषागारों में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को 15 दिन के वेतन के समतुल्य धनराशि वर्ष में एक बार मानदेय के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) वेतन का तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड भाग-2 से 4 के मूल नियम -9 (21)(1) में परिभाषित है ।

(2) उक्त सुविधा ऊन्ही कोषागार कार्मिकों को अनुमन्य होगी जिन्होंने एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। उक्त प्रतिपूर्ति धनराशि 12 माह की सेवा के आधार पर संबंधित वर्ष की पहली मार्च में देय मूल वेतन के आधार पर भुगतान की जायेगी । वर्ष के मध्य में सेवामुक्त होने वाले कोषागार कार्मिकों को समानुपातिक दर पर उक्त सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे कोषागार कर्मी जो वर्ष के दौरान किसी समय सेवा आरम्भ करते हैं, उन्हें भी समानुपातिक दर पर उक्त सुविधा देय होगी।

(3) उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष के अन्त में दिये जाने वाला मानदेय, इस सुविधा के उपरान्त देय नहीं होगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक-"2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-097-खजाना स्थापना-03 मुख्य-07 मानदेय " के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-एस-3-708(1)/दस-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकर लेखा एवं हकदारी, आडिट प्रथम /द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
3- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2 एवं गोपन अनुभाग-1
4- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(राम किशोर पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in